चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 152वीं बैठक
का कार्यवृत्त

दिनाँक : 06.09.2017

दिन : बुधवार

समय : मध्यान्ह 12:00 बजे

स्थान : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड, लखनऊ के आडीटोरियम

(19)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
प्रबन्ध मण्डल की 152वीं बैठक का कार्यवृत्त

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
1–	प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 07.08.2015 को सम्पन्न हुई 151वीं बैठक, आकस्मिक बैठक दिनॉक 07.01.2016 एवं आकस्मिक बैठक दिनॉक 04.11. 2016 की कार्यवाही का अनुमोदन।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा 151वीं बैठक दिनांक 07.08.2015, आकस्मिक बैठक दिनांक 07.01.2016 एवं दिनांक 04.11.2016 की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
2–	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 07.08.2015 को सम्पन्न हुई 151वीं बैठक, आकस्मिक बैठक दिनॉक 07.01.2016 एवं आकस्मिक बैठक दिनॉक 04.11.2016 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया एवं मा0 सदस्य एवं प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि प्रकरण पर किसी मा0 सदस्य का प्रत्यावेदन तो नहीं प्राप्त हुआ है। मा0 सदस्य श्री वीरसेन यादव जी द्वारा कहा गया कि 10 महीने बाद बैठक हो रही है जबकि नियम/परिनियम के अनुसार हर 2 माह में बैठक होनी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी मा0 सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है जिस पर कोई ठोस रणनीति बनाई जाय। प्रमुख सचिव महोदय ने यह भी कहा कि भविष्य में एजेण्डा तथा उनके संलग्नकों की बुकलेट अलग–अलग रखी जाये जिससे उन पर संज्ञान/विचार आसानी से लिया जा सके। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने मा0 सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर भविष्य में संज्ञान अवश्य लिया जायेगा एवं तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
3–	मा0 प्रबन्ध मण्डल की 151वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 में मद संख्या–2 के बिन्दु सं0 1 पर लिये गये निर्णय के क्रम में श्री टी0सी0 मिश्र से सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को संज्ञान में लिया। गया।
.4–	माननीय प्रबन्ध मण्डल की 151वीं बैठक के मद संख्या–2 के बिन्दु संख्या–3 पर प्रदत्त निर्देश के क्रम में डा0 (श्रीमती) ऊषा बाजपेई का सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव।	• प्रस्ताव को संज्ञान में लिया गया। प्रकरण मा0 कुलाधिपति महोदय के विचाराधीन होने के फलस्वरूप मा0 कुलाधिपति महोदय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
.5–	माननीय कुलाधिपति के आदेश सं0 ई–9364/जी0एस0 दिनॉक 07.10. 2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 32996/2015 पर पारित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के	• मा0 अध्यक्ष एवं कुलपति ने मा0 राज्यपाल महोदय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चयन समिति द्वारा बंद लिफाफों एवं जांच समिति की रिपोर्ट को माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष विचार/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया। • प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने मा0 अध्यक्ष

R Singh.

18

	चयन/नियुक्ति प्रकिया पर समुचित निर्णय हेतु प्रस्ताव।	महोदय से यह अपेक्षा की कि डा0 मुन्ना सिंह को जिस जांच कमेटी की संस्तुति पर बर्खास्त किया गया था उसके बिन्दुओं के बारे में अवगत कराये। • अध्यक्ष महोदय ने जांच रिपोर्ट (29.08.2016) को मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। • मा0 सदस्य श्री वीरसेन यादव ने कहा कि एक ही चयन समिति द्वारा 75 लोगों के प्रमोशन के लिफाफे मा0 प्रबन्ध मण्डल में खोलकर ज्वाइन कराया जा चुका है। उसी चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफों को क्यों नहीं खोला जा सकता है। मा0 अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि बंद लिफाफों को खोला जाय। मा0 सदस्य के कथन का समर्थन डा0 असीम यादव, श्री शिव प्रताप सिंह एवं श्री जगदीश सिंह यादव ने भी किया। • मा0 सदस्या श्रीमती रचना सिंह का कथन था कि जांच कमेटी द्वारा सभी आरोप निराधार घोषित किये गये है। अतः लिफाफा खोले जांय। • मा0 सदस्य डा0 हरपाल सिंह ने मा0 सदस्यों को अवगत कराया कि CAS/Selection दोनों ही प्रकिया अलग–अलग होती हैं। मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित जांच समितियों ने भी कई बिन्दुओं पर मानकों में अनदेखी पाई गई है, को स्पष्ट रूप से जांच रिपोर्ट में लिखा है। चूँकि प्रकरण विश्वविद्यालय/छात्र हितों से जुड़ा है इसलिये चयन प्रकिया एवं लिफाफों को निरस्त कर 6 माह के अन्दर पुनः साक्षात्कार कराकर भर्ती की जाय। • मा0 सदस्य डा0 एन0पी0 सिंह ने मा0 सदस्यों को अवगत कराया कि CAS के लिफाफों को खोलने के समय मा0 प्रबन्ध मण्डल की बैठक में मैं भी उपस्थित था। CAS के अन्तर्गत प्रमोशन मैरिट के अनुसार किये जाते हैं। नियुक्ति के लिफाफे इसलिये नहीं खोले जा सके क्योंकि मानकों की अनदेखी की गई जिसको जांच समिति ने सही पाया। उस समय चेयरमैन का जो भी इन्टेंशन रहा हो उसमें मेनुपुलेट किया गया, विचारों से संस्था नहीं चलती है। आईसीएआर/शासन के शासनादेशों एवं आदेशों के अनुसार/नियमानुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए। अतः लिफाफों को निरस्त (क्वैश) किया जाय। • मा0 सदस्यों सर्व श्री रजनीश गुप्ता, आईएएस, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, श्री करन सिंह पटेल (मा0 विधायक), श्री अभिजीत सिंह सांगा (मा0

(17)

		विधायक), डा0 चरन सिंह यादव, निदेशक, पशुपालन, मा0 सदस्या श्रीमती मधु जोशी, प्रभारी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त एवं डा0 सोराज सिंह, निदेशक, कृषि द्वारा भी चयनित अभ्यर्थियों के बन्द लिफाफों को निरस्त करने की संस्तुति की। • अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय ने समस्त सदस्यों के द्वारा की गई संस्तुतियों एवं मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट/संस्तुतियों पर निर्णय लेते हुये विज्ञापन संख्या–1/2014 एवं 3/2014 द्वारा विज्ञापित पदों पर हुये साक्षात्कार के उपरान्त चयन समितियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित संस्तुतियों (बन्द लिफाफों) को मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया। • पदों को शीघ्र विज्ञापित कर भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये एव उल्लिखित विज्ञापनों में सम्मलित अभ्यर्थीगण नियमानुसार अपडेटेड आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
6–	डा0 कमल कान्त, वैज्ञानिक (सस्य), के0वी0के0, जालौन का धारणाधिकार दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने पर दिनांक 14.08.2015 से 24.04.2016 अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7–	डा0 मुकेश श्रीवास्तव प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग का रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में कुलसचिव के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) उनके मूल पद पर सुरक्षित रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8–	डा0 जितेन्द्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य), के0वी0के0, दलीप नगर का धारणाधिकार दिनांक 22.03.2015 को पूर्ण होने पर दिनांक 23.03.2015 से 19.04.2016 तक अतिरिक्त धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(16)

9–	डा0 मुकेश सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (प्रसार), के0वी0के0, हरदोई का धारणाधिकार दिनांक 09.09.2011 को पूर्ण होने पर दिनांक 10.09.2011 से 04.05.2016 तक का अतिरिक्त धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10–	डा0 अवधेश कुमार तिवारी, वैज्ञानिक (फसल सुरक्षा), के0वी0के0, दरियापुर, रायबरेली का धारणाधिकार दिनांक 09.09.2011 को पूर्ण होने पर दिनांक 10.09.2011 से 31.12.2016 तक अतिरिक्त धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
11–	श्री राना प्रताप सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि प्रसार), के0वी0के0, दरियापुर, रायबरेली का राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने के फलस्वरूप दिनांक 12.01. 2017 से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12–	इं0 एम0ए0 हुसैन, सहायक प्राध्यापक (सिविल इंजीनियरिंग), बाबा सहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियॉत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा का धारणाधिकार दिनांक 12.06.2015 को पूर्ण होने पर दिनांक 13.06.2015 से 09. 06.2016 तक अतिरिक्त धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
13–	डा0 महेन्द्र प्रसाद, वैज्ञानिक (पशुपालन), के0वी0के0 फर्रूखाबाद का राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश लखनऊ में परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 22.05.2017 से एक वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

15

14–	डा0 संजय सिंह, वैज्ञानिक (उद्यान), के0वी0के0 लखीमपुर खीरी का धारणाधिकार दिनांक 06.12.2015 होने पर दिनांक 07.12.2015 से 29.06.2017 तक अतिरिक्त धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
15–	डा0 हरेश प्रताप सिंह, प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बाँसी, सिद्धार्थनगर को उनके मूल पद कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दलीप नगर पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 अध्यक्ष एवं कुलपति महोदय ने मा0 सदस्यों को अवगत कराया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं प्रकरण पर विधिकराय भी प्राप्त की गई है। अन्य प्राचार्यो की भॉति ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की गई है। • मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
16–	डा0 रश्मि सिंह, सहायक प्राध्यापक (एफ0आर0एम0), गृह विज्ञान संकाय को दिनांक 17.06.2016 से 02.09.2016 तक (78 दिन) का उपार्जित अवकाश विदेश (U.S.A.) में उपभोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
17–	इं0 तरूण कुमार महेश्वरी, सहायक प्राध्यापक (फार्म पावर एवं मशीनरी), बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को पीएच–डी0 अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
18–	विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
19–	डा0 एस0सी0 कटियार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग को दिनांक 26.10.2015 से दिनांक 12.01.2017 तक (444 दिन) का अवकाश (चिकित्सा अवकाश एवं चिकित्सीय आधार पर उपर्जित अवकाश) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

R.Singh.

20–	इं0 भूपेन्द्र सिंह चौहान, वैज्ञानिक (कृषि अभियन्त्रकी), कृषि विज्ञान केन्द्र, इटावा को पीएच–डी0 अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
21–	उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीन शोध परियोजना "Development of Small Farm and Women Friendly Equipment." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य डा0 हरपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना में रिसर्च फेलो की नियुक्तियॉ शीघ्र कर ली जाये।
22–	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबन्धन संस्थान, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा वित्त पोषित नवीनतम शोध परियोजना "Impact of Indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य डा0 हरपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना में रिसर्च फेलो की नियुक्तियॉ शीघ्र कर ली जाये।
23–	कृषि सहकारिकता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नवीनतम रूप में स्वीकृत एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित योजना "Creation of Seed Hub for increasing indigenous Production of Pulses in India." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
24–	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Identification and development of high yielding genotypes of mungbean possessing resistance for biotic stresses suitable for alkali soils." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य डा0 हरपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना में रिसर्च फेलो की नियुक्तियॉ शीघ्र कर ली जाये।

R Singh.

25–	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Organic farming technology dissemination and diffusion on vegetable growers fields." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य डा0 हरपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना में रिसर्च फेलो की नियुक्तियॉ शीघ्र कर ली जाये।
26–	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित "ICAR Rules and Guidelines for Professional Service Functions (Training, Consultancy, Contract Research and Contract Service)." का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 सदस्य डा0 एन0पी0 सिंह, द्वारा अवगत कराया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
27–	विश्वविद्यालय के शिक्षण शोध एवं प्रसार कार्य को सुचारू रूप से चालने हेतु तीन नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
28–	विश्वविद्यालय परिसर में अधिवासित अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात किराया निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाय।
29–	विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर श्री एम0के0 मिश्र सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• श्री वीरसेन यादव, मा0 सदस्य द्वारा श्री मदन कुमार मिश्रा की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर तथ्यों को छिपाकर की प्रोन्नति के संबंध में अवगत कराया तथा प्रोन्नति को निरस्त करने का अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया। उपस्थिति सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से यह निर्णय लिया कि प्रकरण को अभी अवेन्स में रखा जाय।
30–	माननीय प्रबन्ध मण्डल की बैठक हेतु कृषि व्यवसाय प्रबन्ध विभाग का प्रस्ताव।	• प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाय।
31–	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमावली Guideline for hiring technical manpower on short term basis" का विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 सदस्यों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(12)

32–	सेमेस्टर फाइनल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं प्रश्न–पत्र सेटिंग आदि की दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
33–	विश्वविद्यालय के नव सृजित कृषि महाविद्यालय (कैम्पस), लखीमपुर खीरी हेतु लखनऊ में कैम्प कार्यालय स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
34–	स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आधरित सहायक प्राध्यापकों के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाय।
35–	स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत योजित संविदा कार्मिको के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाय।
36–	स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत अतिथि व्ययाख्याताओं (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाय।
37–	बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुमानित आय–व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
38–	बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुमानित आय–व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
39–	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर को आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित अनुमान के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

R Singh

40–	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर को आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन द्वारा अनुमानित बजट, शासन से प्राप्त अनुदान एवं शासन/केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त अनुदानों की स्वीकृति/ व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	• मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
41–	विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षान्त समारोह दिनॉक 02.12.2017 के अवसर पर मानद उपाधि हेतु महानुभावों के नामों का अनुमोदन।	• प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्यों ने निर्णय लिया कि डा0 हरपाल सिंह, मा0 सदस्य, प्रबन्ध मण्डल को मानद उपाधि हेतु महानुभावों के नामों में सम्मिलित किया जाय।
42–	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	
पूरक–1	श्री पी0के0 बिसारिया, कृषि जीव रसायन विभाग के लिम्बत सेवा प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	• प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जाय।
पूरक–2	शैक्षणिक सत्र 2017–18 (प्रथम सेमेस्टर से अष्टम सेमेस्टर तक) में बी0एस–सी0 (आनर्स) कम्यूनिटी साइंस के समस्त कोर्सो को उच्च स्तरीय समिति व बोर्ड आफ फैकल्टी की संस्तुति के उपरान्त संलग्न कोर्सो के विवरण पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।	• बी0एस–सी0 (आनर्स) गृह विज्ञान नाम से दी जा रही उपाधि को बदल कर बी0एस–सी0 (आनर्स) कम्युनिटी सांइस करने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकरणों जैसे उपार्जित अवकाश, लियन तथा मा0 प्रबन्ध मण्डल की प्रत्याशा में और भी ऐसे प्रकरण जिन पर कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से प्रकरणों को मा0 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अनावश्यक रूप से समय की बर्वादी होती है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को समय से वेतन इत्यादि भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिये

मा0 प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय को सुगमतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से मा0 कुलपति महोदय को Power Delegates करने हेतु निम्न समिति गठित की है:–

1.	डा0 हरपाल सिंह, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	निदेशक, कृषि, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल	सदस्य
3.	निदशक, पशुपालन, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल	सदस्य
4.	श्री करन सिंह पटेल, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल	सदस्य
5.	श्री वीरसेन यादव, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल	सदस्य
6.	अर्थ नियंत्रक	संयोजक

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

R Singh
11.9.17

(राजेन्द्र सिंह)
अर्थ नियन्त्रक एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल
COMPTROLLER
C.S.A. Azad Uni.
Kanpur

अनुमोदित

(सुशील सोलोमन) 11.9.2017
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल
Vice Chancellor
C.S. Azad University of
Agriculture & Technology
KANPUR